

डिक्री बमुकदमें ईत्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
पक्रा संख्या:- 216/2018

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र अभयराम जाति नाई निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
2. बलवीरसिंह पुत्र अभयराम जाति नाई निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
3. महेन्द्रसिंह पुत्र अभयराम जाति नाई निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र अभयराम जाति नाई निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
5. अनिल कुमार पुत्र अभयराम जाति नाई निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।

-वादीगण

बनाम

1. अभयराम पुत्र बन्नाराम जाति नाई निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।
2. विमलादेवी पत्नी रामजीलाल पुत्री अभयराम जाति नाई निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. इन्द्रादेवी पत्नी रामे वरलाल पुत्री अभयराम जाति नाई निवासी कालवासिया तहसील सादुल तहर जिला श्रीगंगानगर।
4. अन्नीदेवी पत्नी अभयराम जाति नाई निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल सिडाना वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री मनोजसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी संख्या-1 राजेन्द्र कुमार चक नम्बर 16 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या-03/03 प0न0 186/319 (39) कि0न0 11 सालम, प0न0 185/319 (40) कि0न0 15, 16 प्रत्येक सालम कुल तादादी 0.759 है0 कृषि भूमि का, वादी संख्या-2 बलवीर सिंह चक नम्बर 16 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या-03/03 प0न0 185/319 (40) कि0न0 17, 24, 25 प्रत्येक सालम कुल तादादी 0.759 है0 कृषि भूमि का, वादी संख्या-3 महेन्द्र सिंह चक नम्बर 16 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या-03/03 प0न0 186/319 (39) कि0न0 12, 13, 14 प्रत्येक सालम, कुल तादादी 0.759 है0 कृषि भूमि का, वादी संख्या-4 सुभाषचन्द्र चक नम्बर 16 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या-03/03 प0न0 186/319 (39) कि0न0 17, 18, 19 प्रत्येक सालम, कुल तादादी 0.759 है0 कृषि भूमि का, व वादी संख्या-5 अनिल कुमार चक नम्बर 16 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या-03/03 प0न0 186/319 (39) कि0न0 20, 21, 22 प्रत्येक सालम कुल तादादी 0.759 है0 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। यदि बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अपनाति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 22.8.18 अदा करें।

बसबत मेरे वस्तुख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22.8.18 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं